भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4078

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एक जिला एक उत्पाद पहल

4078. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में पश्मीना और खुबानी जैसे उत्पादों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो चिह्नित उत्पादों के संवर्धन और निर्यात के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जिला-विशिष्ट उत्पादों की पहचान करना किसानों और लघु उद्यमियों के लिए कितना लाभकारी रहा है;

(घ) क्या सरकार के पास इस क्षेत्र में निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन सहित इस पहल के किसी मापनीय प्रभाव के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का ओडीओपी पहल के अंतर्गत उक्त उत्पादों के उत्पादन में लगे किसानों और लघु उद्यमियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): जी, हां। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के कारगिल से एप्रीकॉट और लेह से पश्मीना की पहचान ओडीओपी उत्पादों के रूप में की गई है।

(ख): लद्दाख के चिह्नित उत्पादों सहित सभी ओडीओपी उत्पादों के संवर्धन और निर्यात के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से नियमित क्षमता निर्माण पहलें; गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) - ओडीओपी बाजार के लिए ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग अभियान शामिल हैं, जिसके अंतर्गत भारत के सर्वश्रेष्ठ ओडीओपी उत्पादों

को प्रदर्शित और स्टॉक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए, विदेशों में भारतीय मिशनों से संपर्क, वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई है। इसके अलावा, इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में जी-20 बैठकों के दौरान उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए विभिन्न ओडीओपी उत्पादों का उपयोग किया गया।

इसके अलावा, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य विभाग की 'निर्यात हब रूप में जिला' (डीईएच) पहल के तहत, सरकार ने पश्मीना ओर एप्रीकॉट जैसे चिह्नित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके एक संस्थागत तंत्र बनाया गया है। इसके अलावा, लेह और लद्दाख के लिए जिला निर्यात कार्य-योजना (डीईएपी) तैयार की गई है, जो आपूर्ति श्रृंखला की मौजूदा बाधाओं का पता लगाती है तथा इन उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने के संबंध में तैयारी के लिए लक्षित कार्यकलापों को चिह्नित करती है। ये योजनाएं इन उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं को दूर करने, ब्रांडिंग के प्रयासों में वृद्धि तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करने पर बल देती हैं।

(ग): जिला-विशिष्ट उत्पादों की पहचान ने क्षेत्रीय वस्तुओं के लिए अनूठी पहचान बनाकर किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभान्वित किया है, जिससे बाजार में भिन्नता और प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में लाभ हुआ है। यह इन उत्पादों के लिए एक विशिष्ट बाजार बनाकर और बिक्री के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। उत्पाद और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक दृष्टिकोण, विशिष्ट क्षमता निर्माण पहलों, फोकस्ड ब्रांडिंग और विपणन पहलों, आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा व्यवधानों की पहचान करने और निर्यात संवर्धन के लिए केंद्रित प्रयासों की दिशा में लाभकारी रहा है।

(घ): एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) केवल एक पहल है, कोई स्कीम नहीं है। इसमें कोई वित्तीय घटक शामिल नहीं है और इसलिए ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****